बाल-विवाह-एक अभिशाप

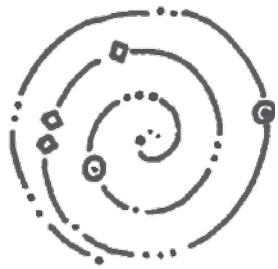

भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये जनगणना आंकड़ों में एक बौखला देने वाला सच सामने आया है। इन आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल 102.61 करोड़ बच्चियों का विवाह अट्ठारह वर्ष की उम्र से पहले कर दिया जाता है। भारत में महिलाओं की आबादी कुल 587.58 करोड़ है। यानी देश की महिलाओं में से हर छठी औरत का बाल विवाह किया जाता है।

सन 2011 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड शाखा ने कुल 948 बाल विवाह के मामले दर्ज किए और इनमें से कुल 157 दोषी व्यक्तियों को सज़ा हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि बाल विवाह क़ानून 2006 में संशोधन किये जाने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। पहले इस क़ानून के अनुसार दोषी व्यक्ति को तीन महीने की सज़ा या जुर्माना अदा करने की सज़ा दी जा सकती थी। अब सज़ा की अवधि दो वर्ष तक बढ़ा दी गई है। जुर्माने की रकम भी बढ़ाकर दो लाख तक कर दी गई है।

जनगणना के दौरान 37.62 करोड़ औरतों ने बताया कि उनकी शादी पिछले चार सालों में हुई है। इनमें से 17.23 प्रतिशत यानी 6.5 करोड़ औरतों की विवाह के समय उम्र अट्ठारह वर्ष से कम थी। बाल विवाह के सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान (31.38 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (29.23 प्रतिशत), झारखंड (27.90 प्रतिशत), बिहार (22.99 प्रतिशत) व मध्य प्रदेश (22.49 प्रतिशत) में पाए गए।

कम उम्र में लड़कों को विवाह करने में राजस्थान (15.88 प्रतिशत - 26 करोड़), मध्य प्रदेश (11.45 प्रतिशत - 2.05 करोड़), छत्तीसगढ़ (9.74 प्रतिशत - 0.63 करोड़), उत्तर प्रदेश (9.56 प्रतिशत - 4.31करोड़) व हरियाणा (7.78 प्रतिशत - 0.50 करोड़) सबसे आगे पाए गये।

समाज में लड़कियों को बोझ समझने की मानसिकता तथा उनकी पढ़ाई पर पैसा न खर्च करने की चाह ही प्रमुख रूप से इस सामाजिक अपराध के लिए ज़िम्मेदार हैं। क़ानून के कार्यान्वयन में ढील भी काफ़ी हद तक इस अन्याय को प्रोत्साहन दे रही है।

स्रोतः इण्डियन एक्सप्रेस, 5 जून 2015